

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :— शिविरा—मा./माध्य/अ-4/नाम संशोधन/रामावि/राउमावि/2018-19 दिनांक : 24/9/19

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान।

विषय:— “हरिजन” नाम से संचालित राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के
नाम संशोधन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में बहुत से राजकीय माध्यमिक/राजकीय उच्च
माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं, जो ‘हरिजन बस्ती/हरिजन मौहल्ला’ नाम से संचालित है या ऐसे भी
राजकीय विद्यालय संचालित हो सकते हैं, जिनके नाम के साथ ‘हरिजन’ शब्द अंकित है। यह विदित रहे
कि ‘हरिजन’ शब्द संवैधानिक नहीं होने के कारण ऐसे राजकीय विद्यालयों के नाम/पते से ‘हरिजन’ शब्द
हटाया जाना आवश्यक है। अतः उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है, कि संलग्न प्रपत्र में आपके
कार्यालय के अधीनस्थ संचालित ऐसे राजकीय विद्यालयों के नाम संशोधन के प्रस्ताव जिलेवार समेकित
कर तीन दिवस में आवश्यक रूप से प्रेषित करें ताकि समेकित प्रस्ताव शासन को भिजवाए जाकर नाम
संशोधित करवाए जा सके।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान.....

“हरिजन” नाम से संचालित राजकीय विद्यालयों के नाम संशोधन के प्रस्तावः—

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	यू-लाईस/ IFMS कोड	रामावि/ राजमावि का वर्तमान नाम व पता	'हरिजन' शब्द हटाने के पश्चात् संशोधित प्रस्तावित विद्यालय का नाम व पता	विशेष विवरण